छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

:: विज्ञापन ::

क्रमांक-एफ-2-61/सात-2/2007, रायपुर, दिनांक 04 MAR 2014

छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती 1980 (समय-समय पर संशोधित अधिसूचना) के प्रावधानों के तहत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों (यथा-आयुक्त, भू-अभिलेख, संभागीय आयुक्त, राजस्व मंडल, कलेक्टर और उसके अधीनस्थ राजस्व कार्यालय) के स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक एवं लिपिक सेवा संवर्ग से सीधी भर्ती द्वारा राजस्व विभाग के रिक्त नायब तहसीलदार के पदों को भरने के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर के वेबसाईट www.cgvyapam.org.in पर आमंत्रित किए जाते हैं।

ऑनलाईन आवेदन की तिथि - 15.03.2014 से 24.03.2014 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक

परीक्षा तिथि - 20.07.2014, रविवार

समय - पूर्वान्ह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

परीक्षा शहर - रायपुर

परीक्षा शुल्क - निःशुल्क

पदनाम, वेतनमान एवं संभावित रिक्तियां

पदनाम - नायब तहसीलदार

वेतनमान - 9300-38400 एवं ग्रेड-वेतन 4200

* महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते शासन द्वारा समय पर स्वीकृत अनुसार देय होगा।

कुल रिक्तियां - 57 (पदों का विवरण निम्नानुसार है)

संवर्ग	पदों की संख्या	आरक्षण विवरण			
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग
राजस्व निरीक्षक /पटवारी	28	12	4	9	3
लिपिक	29	12	4	9	4

नोट :-

1. विज्ञापन में उल्लेखित रिक्त पदों का प्रवर्गवार आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक-13-14/2009/आ.प्र./1-3, दिनांक 04.12.2012 एवं अधिसूचना दिनांक 29.11.2012 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार है।
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद ऐसे सदस्यों से नहीं भरे जायेंगे जो यथा स्थिति, ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के नहीं हैं।

3. मेरिट सूची से रिक्त पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक नियुक्तियाँ की जा सकेगी।

4. राज्य शासन, उक्त रिक्त और भरे जाने वाले पदों की संख्या में संशोधन अर्थात कमी या वृद्धि कर सकेगा।

<u>सीमित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता और अर्हता :-</u>

1. आवेदक को राजस्व विभाग का मूल कर्मचारी होना होगा। (आयुक्त, भू-अभिलेख, संभागीय आयुक्त, राजस्व मण्डल, कलेक्टर और उनके अधीनस्थ राजस्व कार्यालयों तथा इनसे संबंधित राजस्व विभाग के वे कर्मचारी जो अन्य विभागों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।)

2. राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-2-61/सात-2/2007, दिनांक 27.09.2013 द्वारा उक्त सीमित प्रतियोगी परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा का बंधन मात्र एक बार के लिए शिथिल किया गया है।

3. आवेदक अनिवार्य रूप से मात्र लिपिक, पटवारी और राजस्व निरीक्षक संवर्ग से ही होना चाहिए।

4. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक (ग्रेजुएट) होना अनिवार्य है।

5. आवेदक उक्त पदों पर स्थायी या स्थानापन्न हैसियत से दिनांक 01.01.2014 की स्थिति में पांच वर्ष की शासकीय सेवा अवधि पूर्ण कर चुका हो।

6. आवेदक इस परीक्षा में उपरोक्त योग्यता के अध्याधीन रहते हुए अधिकतम तीन अवसरों में सम्मिलित हो सकेगा।

7. आवेदक, शासकीय कर्मचारियों के सेवा अभिलेख में अंकित विवरण ही अंतिम मान्य होगा।

<u>नियुक्ति हेतु चयन विधि :-</u>

1. उक्त पद का चयन हेतु एक सीमित लिखित प्रतियोगी परीक्षा, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी की जावेगी।

2. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

3. परीक्षा फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि, वे इस परीक्षा हेतु आवश्यक योग्यता और अर्हता रखते हैं। किसी भी स्तर पर कमी अथवा अयोग्य पाये जाने पर पात्रता निरस्त कर दी जायेगी और आवेदक ही इस हेतु उत्तरदायी होगा।

4. परीक्षा के लिए निम्नानुसार निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार दो खण्डों का दो प्रश्न-पत्र प्रत्येक खण्ड से 100 प्रश्न कुल 200 अंको का एवं समय 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित का होगा :-

(अ) खण्ड-एक (प्रथम प्रश्न-पत्र) -
सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा प्रारंभिक अंक गणित।

(ब) खण्ड-दो (द्वितीय प्रश्न-पत्र) -
शासकीय सेवा संबंधित सामान्य नियमों का ज्ञान, राजस्व विभाग में उपयोग में आने वाली शब्दावली का ज्ञान तथा भू-राजस्व संहिता तथा विभाग द्वारा प्रसारित अन्य अधिनियमों का प्रारंभिक संक्षिप्त ज्ञान।

5. सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने तथा वापस जाने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

7. लिखित परीक्षा में सफल कर्मचारियों की दोनों प्रश्न-पत्रों में प्राप्त कुल अंकों के अनुसार प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी। तदुपरांत ऐसे कर्मचारियों के गत पांच वर्षों के गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों एवं गोपनीय चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर एक अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी। इस अंतिम चयन सूची में से कर्मचारियों के क्रमानुसार नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

8. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी अर्थात जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।

9. नियुक्त कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता क्रम अंतिम चयन सूची की वरिष्ठता पर आधारित होगी।

10. नियुक्ति के उपरांत उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा। इस अवधि के दौरान उन्हें नायब तहसीलदारों के लिए विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा निर्धारित नियमोचित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

परीक्षा निर्देश :-

व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट www.cgvyapam.org.in & cgvyapam.choice.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप, आवेदन-पत्र भरने की विधि, आवेदन पर, फोटो में हस्ताक्षर एवं बांऐ हाथ के अंगूठे का निशान स्केन करने एवं पेस्ट करने की विधि, अभ्यर्थी को प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. नंबर के आधार पर ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त करने की विधि तथा अन्य जानकारियां दी गई है।

(चन्द्रकांन्त उइके)
संयुक्त-सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग